छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

–: आदेश :–

नवा रायपुर, दिनांक 21/10/2022

क्रमांक एफ 02–02/2022/10–भा0व0से0:– विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 06.05.2022 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के सूरजपुर जिले में प्रवास के दौरान, आवर्ती चराई योजना में अनियमितता पाये जाने के फलस्वरूप श्री मनीष कश्यप, भा.व.से. (2015) वनमण्डलाधिकारी, सूरजपुर वनमण्डल को अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 के नियम–03 में उल्लेखित प्रावधान अंतर्गत निलंबित कर उनका कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन नवा रायपुर अटल नगर निर्धारित किया गया है। साथ ही अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु उनके विरूद्ध विभाग के समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 21.06.2022 द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया था।

2/ श्री मनीष कश्यप, भा.व.से. (2015) तत्कालीन वनमण्डलाधिकारी, सूरजपुर वनमण्डल के विरूद्ध जारी आरोप पत्र के संबंध में उनसे प्राप्त बचाव उत्तर तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र दिनांक 16.08.2022 द्वारा दिये गये अभिमत के आधार पर पूर्ण विचारोपरांत राज्य शासन एतद्द्वारा श्री मनीष कश्यप, भा.व.से. (2015) द्वारा की गई त्रुटि की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो, के लिये सचेत करते हुए जारी आरोप पत्र दिनांक 21.06.2022 नस्तीबद्ध कर श्री मनीष कश्यप को निलंबन से बहाल करता है।

श्री मनीष कश्यप, भा.व.से. (2015) उप वन संरक्षक के निलबंन अवधि का निराकरण नियमानुसार पृथक से किया जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
21/10/22

(आर.के. चंचलानी)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ 02–02/2022/10–भा0व0से0 नवा रायपुर, दिनांक 21/10/2022

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली 110 003
2. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय,
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमशः 2

4. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) (ऑडिट–1/टी.सी.–1/पीआर अनु.) छत्तीसगढ़, रायपुर
5. विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय,
6. निज सहायक, मान. मंत्री जी, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मंत्रालय,
7. निज सहायक, मान. संसदीय सचिव, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मंत्रालय,
8. स्टाफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मंत्रालय,
9. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, रायपुर
10. मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर (छ.ग.)
11. संबंधित अधिकारी,
12. आदेश फोल्डर/व्यक्तिगत नस्ती

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

21/10/22

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग